फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

राजेन्द्र प्रसाद बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा—प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0—101/2023

पीठासीन अधिकारी— यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 675, वाके ग्राम ब्राहमण बैराडा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र मन्नालाल दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद है इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गयां। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब तहसीलदार सिकराय का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब में यह तथ्य अंकित किया है कि राजू एवं राजेन्द्र प्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 675, वाके ग्राम ब्राहमण बैराडा तह0 सिकराय जिला दौसा में प्रार्थी का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतू तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	उपखण्ड अधिकारी सिकराय (राज.)